

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2020-आश्विन 8, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2020

संशोधन

अधि. क्र.-209-एफ-1-294-2020-अटारह-3.- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 523, दिनांक 14 नवम्बर 2014 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक 105, एफ 1-01-2013-अटारह-3, दिनांक 14 नवम्बर 2014 में त्रुटिवश ग्राम लमती को तहसील पनागर एवं ग्राम खम्हरिया को तहसील जबलपुर के अंतर्गत दर्शाया गया है. उपरोक्त त्रुटि को सुधारते हुए उक्त विभागीय अधिसूचना दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

अनुसूची - एक

जबलपुर नगर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

स.क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्रमांक	घोषित किया जाने वाले क्षेत्र (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09	जबलपुर	जबलपुर	लमती	01 से 57 (सम्पूर्ण ग्राम)	128.72
16	जबलपुर	पनागर	खम्हरिया	01 से 635 (सम्पूर्ण ग्राम)	684.63

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.